प्रेस नोट दिनांक- 24.11.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही, बस में पारचून के सामान के साथ गैर प्रान्त ले जाया जा रहे 07 बोरियो में 02 लाख 65 हजार का अवैध शराब बरामद, दो शराब तस्कर गिरफ्तार

चन्दौली-श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में अवैध शराब/मादक पदार्थ की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन एवम् आशुतोष क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 23.11.2024 को समय करीब 15.30 गोधना चौराहे से कुछ दूर आगे मुखबिर की सूचना पर कि एक बस (नं0 UP 65BT 2525) को रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन में बैठे बस का ड्राईवर बस रोककर भागने लगा तथा उसको देखकर बस में बैठे दो अन्य व्यक्ति उतरकर भागने का लगे। पुलिस वालो द्वारा तीनो व्यक्तियो को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैफिक की वजह से बस का ड्राईवर भागने में सफल रहा किन्तु अन्य दो व्यक्तियो को मौके से पकड़ लिया गया। दोनो व्यक्तियो से भागने का कारण पूछा गया तो दोनो व्यक्तियो द्वारा बताया गया कि साहब इस पारचून का सामान रखा है तथा उसके साथ बोरियो में शराब भी रखी है जिसे हम लेकर बिहार जा रहे थे तभी आप लोगो ने हमे पकड़ लिया। दोनो व्यक्तियो से नाम पता पूछने पर अपना नाम 1. भगवान सिंह यादव पुत्र भोला सिंह यादव निवासी ग्राम रतवार थाना भभुआ (कैमूर) बिहार उम्र 33 वर्ष तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम 2. पण्डित बिहान कश्यप पुत्र वीर बहादुर शर्मा निवासी ग्राम सेन्दहा बक्सड़ा थाना तरारी जनपद आरा भोजपुर बिहार उम्र 28 वर्ष बताया। बस को किनारे लगाकर सफेद बोरियो/पैकेटो में चेक किया गया तो पारचून का सामान व 7 सफेद बोरियो में अंग्रेजी शराब पायी गयी जिसे चेक करने पर 06 बोरियो में 29 पेटी अंग्रेजी शराब 8 PM (प्रत्येक पेटी में 48 टेट्रा पैक) प्रत्येक टेट्रा पैक में 180 एमएल तथा सातवी बोरी में रायल स्टैग की एक पेटी जिसमें रायल स्टैग की 750 एमएल की 10 बोतल तथा 350 एमएल की 20 बोतल पायी गयी। बरामद शराब की कुल मात्रा 265.6 लीटर है। बाद गिरफ्तारी व बरामदगी मु0अ0सं0 316/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रीम विधिक कार्यववाही अमल में लायी गयी। मौके से फरार व्यक्ति व घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियो की गिरफ्तरी का प्रयास में पुलिस जुट गयी है।

विवरण पूछताछ अभियुक्त- पकड़ गये अभियुक्तो ने बताया गया कि साहब इस बस पारचून का सामान रखा है तथा उसके साथ बोरियो में शराब भी रखी है जिसे हम लेकर बिहार जा रहे थे तभी आप लोगो ने हमे पकड़ लिया। शराब को राम नगर व टेंगरा मोड़ के बीच सेल्समैन व ठेकेदारो द्वारा बस में लदवाया जाता था। हम लोग अक्सर पारचून की सामान की आड़ में बस मालिक की सहमति से सेल्समैन व ठेकेदार से मिलकर शराब को भी बस में छिपाकर ले जाते है। यह काम हमलोग काफी समय से करते आ रहे है। इस धन्धे में हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है तथा बिहार राज्य में ले जाकर महंगे दामो मे बेचकर जो फायदा होता है उस पैसे को हम लोग आपस में बाँट लेते है।

- [ ] **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1.भगवान सिंह यादव पुत्र भोला सिंह यादव निवासी ग्राम रतवार थाना भभुआ (कैमूर) बिहार उम्र 33 वर्ष

2.पण्डित बिहान कश्यप पुत्र वीर बहादुर शर्मा निवासी ग्राम सेन्दहा बक्सड़ा थाना तरारी जनपद आरा भोजपुर बिहार उम्र 28 वर्ष

☐ **अपराधिक इतिहास-**

1.मु0अ0सं0 316/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

☐ **बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान** –

दिनांक -23.11.2024

समय -15.30 बजे

स्थान – गोधना चौराहे से कुछ दूर आगे थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

☐ **विवरण बरामदगी -**

1.एक अदद वाहन बस नं0 UP 65BT 2525

2.7 सफेद बोरियो में (06 बोरियो में 29 पेटी अंग्रेजी शराब 8 PM,प्रत्येक पेटी में 48 टेट्रा पैक, प्रत्येक टेट्रा पैक में 180 एमएल) तथा सातवी बोरी में रायल स्टैग की एक पेटी जिसमें रायल स्टैग की 750 एमएल की 10 बोतल तथा 350 एमएल की 20 बोतल पायी गयी) बरामद शराब की कुल मात्रा 265.6 लीटर

☐ **गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-**

1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ.नि. विरेन्द्र यादव चौकी प्रभारी आलूमील थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

4.हे0का0 सुनील यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

5.का0 अमित सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

6.का0 प्रवेश कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली